कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

(जिला सामान्य शाखा)

आदेश

श्री राजेश सुमन, पे0– स्व0 विभूति नारायण सिंह, सा0– जयप्रकाश नगर, वार्ड नं0– 23, खगड़िया के द्वारा अपने पिताजी के मृत्यु की सूचना देते हुए उनके द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0– 11/1990 एवं 22/1992 (दोनो खगड़िया थाना) की अनुज्ञप्ति रदद् करते हुए उस पर धारित शस्त्र को डिलक्स आर्म्स कम्पनी, खगड़िया में जमा करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदन के साथ उनके द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है।

प्राप्त आवेदन के आलोक में आयुध अधिनियम 2016 की धारा 47 (1) के तहत जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया द्वारा संचिका सं0–IV-22/2018 के टिप्पणी पृष्ट संख्या–24 पर दिनांक 07.06.2019 को पारित आदेश के आलोक में स्व0 विभूति नारायण सिंह खगड़िया के नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या– 11/1990 एवं 22/1992 (खगड़िया थाना) को ततकाल प्रभाव से रद्द किया जाता है। आवेदक को आदेश दिया जाता है कि उक्त अनुज्ञप्ति सं0– 11/1990 पर धारित दोनाली बंदुक सं0–2055 एवं अनुज्ञप्ति सं0– 22/1992 पर धारित राईफल सं0–10776, तथा जिन्दा कारतूस डिलक्स आर्म्स कम्पनी, खगड़िया मे जमा करना सुनिश्चित करेंगे; तथा शस्त्र जमा करने के पश्चात शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका को मूल में इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक IV-22/2018...872.../जी0, दिनांक...8.6.19...

प्रतिलिपि : श्री राजेश सुमन, पे0– स्व0 विभूति नारायण सिंह, सा0– जयप्रकाश नगर, वार्ड नं0– 23, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– डिलक्स आर्म्स कम्पनी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, नगर थाना, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : आई0टी0प्रबंधक, खगड़िया को बेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।